

(आदेश फलक)

# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 201/19.....

धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।  
धनेश्वर महतो बनाम मोहन महतो 930

स्थानीय पुलिस डुमरी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन,  
जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत  
होता है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है तथा  
काफी तनाव है जिससे दोनों पक्षों में शान्ति एवं  
विक्षि-व्यवस्था भंग हो सकती है।

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं  
उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा  
तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट  
हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु  
निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों  
के विरुद्ध धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है  
तथा इनसे दिनांक 10 / 01 2020 को कारण-पृच्छा की  
मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति  
बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल  
करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष :- धनेश्वर महतो, पं० विशुन महतो, सा० कुलगो, छप्परटांड-  
द्वितीय पक्ष :- (1) मोहनलाल महतो, पं० दुर्गा महतो (2) डेगलाल महतो पं० वापेद  
महतो (3) अखलेश्वर महतो पं० जोधान महतो (4) मंगर महतो  
पं० स्व० चितामन महतो (5) लालचन्द महतो पं० मेधलाल महतो  
सत्री सा०- कुलगो टोला- छप्परटांड, थर-डुमरी।

लेखापिन



48  
03-01-2020  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
डुमरी

48  
03-01-2020  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
डुमरी

दं.प्र.सं. की धारा 107 के अन्तर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का  
निष्पादन आदेश

वाद संख्या : 201 / 19-20 -

धनेश्वर महतो बनाम मोहन महतो वगैरे

12-12-20

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 12-12-2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर सूचित किया गया। वाद से संबंधित प्रथम पक्ष/उभय पक्ष लोक अदालत में उपस्थित/अनुपस्थित।

उभय पक्षों के बीच संभवतः शांति-व्यवस्था कायम है। उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था/विधि-व्यवस्था के उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित धाना से प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही प्रारम्भ हुए छः माह व्यतीत हो गए हैं।

अतः काल अवधि बाधित होने के कारण अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
डुमरी।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
डुमरी।